प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" के डिजाइनिंग एवं मुद्रण कार्य हेतु निविदाकर्ता का चयन

राष्ट्रीय आवास बैंक

मुख्यालय, राजभाषा विभाग

कोर 5-ए, तीसरा से पांचवा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,

नई दिल्ली – 110 003

फोन: 011-3918 1220

E-Mail: Ranjan.barun@nhb.org.in

Shobhit.tripathi@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण निविदा विवरण		
1.	निविदा दस्तावेज प्रक्रिया शुरू करने की तिथि	15/01/2019
2.	निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	30/01/2019, 18:00 बजे तक
3.	निविदा दस्तावेजों को खोलने की तिथि एवं समय	31/01/2019, 16:00 बजे तक
4.	निविदा खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक , कोर 5- ए, चतुर्थ तल, बैठक कक्ष, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

नोट: -

- **निविदा उन निविदातकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होने के लिए चयनित किए जाएंगे।**
- **उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी।**
- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जाएगी।**
- **इच्छुक आवेदक वर्तमान में प्रकाशित की जा रही बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "आवास भारती" की नमूना प्रति बैंक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।**

1. **राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में**

राष्ट्रीय आवास बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत स्थापित एक निगमित निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल में है।

2. प्रयोजन:

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में प्रकाशित होने वाली हिंदी गृह पत्रिका आवास भारती के मुद्रण कार्य हेतु निविदाकर्ताओं का चयन।

3. विनिर्देशन:

रा.आ.बैंक अपनी तिमाही हिंदी गृह पत्रिका **"आवास भारती"** के मुद्रण का कार्य निविदा में दिए गए विनिर्देशों पर करवाना चाहता है। पत्रिका के मुद्रण हेतु निम्न विशिष्ताएँ हैं:

क्र.सं.	**शीर्षक**	**ब्यौरा**
1	आकार	21 ½ सेमी. X 28 सेमी.
2	कवर	300 जीएसएम इंपोर्टेड आर्ट पेपर
3	अंदर के पृष्ठ	120/130 जीएसएम इंपोर्टेड आर्ट पेपर
4	कुल पृष्ठ	48 पृष्ठ + कवर (4 नियमित अंक) व 56 पृष्ठ + कवर (1 विशेषांक)
5	प्रिंटिंग	मल्टीकलर
6	प्रतियों की संख्या	500
7	बाइंडिंग	परफेक्ट बाइंडिंग/उपयुक्त बाइंडिंग
8	सामग्री	बैंक हिंदी फोंट में (टाइप मैटर) सॉफ्ट कॉपी में सामग्री उपलब्ध कराएगा। पत्रिका में फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन आदि होगी (फर्म आलेखों के विषय के अनुसार कवर पेज डिजाइन, अंदरुनी पेज डिजाइन, फोटोग्राफ, स्केच आदि उपलब्ध कराएगी)

4. संविदा की अवधि:

क) कार्यादेश की अवधि 1 वर्ष की होगी। प्रथम वर्ष हेतु कार्यादेश के पश्चात आगामी 2 वर्षों (पहले एक वर्ष के लिए तत्पश्चात मूल्यांकन के बाद अन्य एक वर्ष के लिए) के लिए डिजाइनिंग एवं मुद्रण का कार्य नवीनीकरण के आधार पर दिया जाएगा। कार्य संतुष्टि के आधार पर अनुबंध को सामान शर्तों एवं लागत पर प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अधिकतम 2 वर्षों (पहले एक वर्ष के लिए तत्पश्चात मूल्यांकन के बाद अन्य एक वर्ष के लिए) के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ख) ज्ञातव्य हो कि प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंक अपनी तिमाही हिंदी गृह पत्रिका "आवास भारती" का सामान्यत: 4 अंक (नियमित अंक) एवं एक विशेषांक प्रकाशित करता है।

5. निविदकार्ताओं की पात्रता:

1. प्रिंटिंग प्रेस स्वयं का हो तथा कार्यालय एवं प्रेस दिल्ली एनसीआर में स्थित हो।
2. निविदाकर्ता को मुद्रण संबंधी न्यूनतम 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। **(निविदा के साथ अपेक्षित दस्तावेज़ संलग्न करें**)
3. मुद्रक का जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। **(यदि नियमानुसार अनिवार्य है।)**
4. निविदाकर्ता को पिछले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक में मुद्रण संबंधी कार्य का अनुभव होना चाहिए। **(निविदा दस्तावेज़ के साथ उक्त कार्यों से संबंधित कार्यादेश की प्रति भी लगाएँ)**
5. मुद्रक का प्रति वर्ष व्यापार कम से कम 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। **(निविदा के साथ लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)**
6. भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित नहीं होना चाहिए।

6. निविदाकर्ताओं को अनुदेश

7.1 सामान्य:-

- चयनित मुद्रक के यहां जाकर स्थलीय निरीक्षण भी किया जा सकता है और यदि भेजे गए निविदा के अनुसार सुविधाएं नहीं पाई जाती है तो इस स्थिति में कार्य आदेश निरस्त भी किया जा सकता है।
- सभी मुद्रकों को निविदा प्रेषित करने के साथ निर्धारित कागज का नमूना भी प्रेषित करना अनिवार्य है।
- मुद्रक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजायनिंग, सेटिंग, फोटो, कवर पेज डिजायनिंग आदि अत्यंत उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए व बैंक को स्वीकृत होना चाहिए।
- पत्रिका में कवर पेजों व आंतरिक पृष्ठों में थीम के अनुसार अच्छे व सटीक फोटो (कलर) मुद्रक को उपलब्ध कराने होंगे व इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क बैंक द्वारा अलग से नहीं दिया जाएगा।
- सामग्री अनुसार फोटो के चयन व उपलब्धता के बारे में विधिक जिम्मेदारी मुद्रक की होगी व रा.आ.बैंक का इसमें कोई दायित्व नहीं होगा।
- मुद्रण का कार्य पहले 1 वर्ष अर्थात अक्तूबर-दिसंबर, 2018 से जुलाई - सितम्बर, 2019 तक की अवधि के 4 नियमित अंकों + एक विशेषांक के लिए दिया जाएगा। कार्य संतुष्टि के आधार पर अनुबंध को वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त अधिकतम 2 वर्षों (पहले वर्ष के लिए तत्पश्चात मूल्यांकन के बाद अन्य एक वर्ष के लिए) के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- किसी भी परिस्थिति में सम्पूर्ण डिजाइनिंग एवं मुद्रण कार्य व पत्रिकाओं की आपूर्ति 7-8 कार्य दिवसों में करना आवश्यक है तथा समयावधि कार्य आदेश देते समय बतायी जाएगी।
- यह सुनिश्चित करना मुद्रक का कार्य होगा कि दी गयी साम्रगी में किसी प्रकार की टाइपिंग त्रुटि न रहे।
- मुद्रक द्वारा कोट की गई एवं बैंक द्वारा स्वीकृत कुल देय लागत में बैंक के दिल्ली स्थित कार्यालय में पत्रिकाओं की डिलीवरी लागत भी शामिल होगी, बैंक इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करेगा।
- पत्रिकाओं की आपूर्ति पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा।
- ड्राफ्ट/फेरो बनाकर लाने/ले जाने का खर्च वहन मुद्रक द्वारा ही किया जाएगा। बैंक इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।
- **निविदाकर्ता को एक लिफाफे में दो प्रपत्र दो अगल-अलग लिफाफों में भर कर जमा करने होंगे। बड़े लिफाफे के अंदर रखे गए प्रथम लिफाफे में फर्म को पात्रता मानक फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ देना होगा। दूसरे लिफाफे में वित्तीय कोटेशन देनी होगी।**
- जो निविदाएं पात्र नहीं पाई जाएंगी उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्रता मानदंड में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाएगी।
- निविदाएं खोलने की जानकारी बैंक की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी एवं जो निविदाकर्ता उपस्थित रहना चाहते हैं वे बैंक के कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर आ सकते हैं।
- राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कारण बताए संपूर्ण निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- प्रत्येक निविदाकर्ता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र निविदाकर्ता छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाले निविदाकर्ता को यह समझा जाएगा कि उसे इस निविदा/आरएफपी की शर्तें स्वीकार हैं।
- निविदाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्ति को भेजें:

श्री शोभित त्रिपाठी सहायक प्रबंधक, राजभाषा विभाग ईमेल आईडी: Shobhit.Tripathi@nhb.org.in दूरभाष : 011- 3918 1220 +91 9205132563

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी निविदाकर्ता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं निविदाकर्ता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यदि मुद्रक निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा करने में असफल रहता है, कार्य को अधूरा छोड़ता है, कार्य पूरा करने हेतु इंकार करता है या फिर निर्धारित समय से अधिक समय लेता है तो वह अर्थदंड हेतु जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में बैंक के पास सम्पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त स्थितियों में चयनित मुद्रक के ऊपर अर्थदंड लगा सकता है। अर्थदंड बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के पूर्ण होते ही सभी चयनित निविदाकर्ताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

7.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

7.3 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

7.4 निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए निविदा दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार की चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- बैंक अपने विवेक पर निविदा प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7.5 मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित मात्रा को संशोधित करने का अधिकार है।

7.6 निविदा में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारुपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. **अनुलग्नक I** में पात्रता मानक फॉर्म
2. **अनुलग्नक II** में वित्तीय निविदा फॉर्म

7.7 निविदा मुद्रा

निविदाएं केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.8 बोलियों की वैधता अवधि

- रा.आ.बैंक की स्वीकृति हेतु निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अन्य शर्तें एवं कीमत को वाणिज्यिक निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से 03 माह की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में रा.आ. बैंक निविदाकर्ता की वैधता अवधि को बढ़ाने की मांग पर सहमति दे सकता है। ऐसा कोई अनुरोध और उत्तर लिखित में होगा।

7.9 प्रारूप और बोलियों पर हस्ताक्षर

वास्तविक निविदा पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के निविदा लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत निविदाकर्ता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो निविदा हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा निविदा के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

7.10 निविदाओं की मुहरबंदी और चिह्नांकन

- **लिफाफा उप महाप्रबंधक (राजभाषा), राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 को संबोधित किया जाएगा।**
- सभी लिफाफों के कवर पर निविदाकर्ता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ नाम और पता इंगित करना चाहिए।
- लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर '' **"आवास भारती हिंदी पत्रिका के डिजाइनिंग एवं मुद्रण कार्य हेतु निविदा"** लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक निविदा के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी निविदाएं जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.11 निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- निविदाएं रा.आ. बैंक को निर्दिष्ट पते पर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को या उससे पहले प्राप्त हो जानी चाहिए।
- निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि को यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ निविदा दस्तावेजों में संशोधन करके निविदा प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और निविदाकर्ताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

7.12 विलम्ब से प्राप्त निविदाएं

रा.आ.बैंक द्वारा निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त निविदाएं रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले निविदाकर्ता को लौटा दिया जाएगा।

7.13 रा.आ.बैंक द्वारा निविदाएं खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, निविदाएं बैंक समिति द्वारा निविदाकर्ता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- **निविदा खोलने का स्थान**: बैठक कक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
- निविदाकर्ता के नाम तथा अन्य ब्योरे की घोषणा निविदा खोलने के समय की जाएगी।

7.14 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ. बैंक स्व निर्णयानुसार, निविदाकर्ता से उसकी निविदा का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और निविदा की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.15 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और निविदाएं हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ. बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे निविदा की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी निविदाकर्ता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- निविदा दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7.16 लागत संरचना एवं परिवर्तन

- कार्य के लिए समनुदेशित कार्य की लागत करों को छोड़कर निविदा (वर्तमान एवं भावी) से संबंधित मूल्य परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कार्य की मात्रा में किसी भी विचलन का भुगतान केवल निविदा स्वीकृत दरों पर ही होगा।
- लागू टीडीएस को समय-समय पर सभी भुगतानों में से वसूल किया जाएगा।

7.17 रा.आ. बैंक की निबंधन व शर्तें

1. निविदाकर्ता किसी तृतीय पक्ष को रा.आ. बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों में केवल अपनी सेवा/ समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निपटाएगा।
2. निविदाकर्ता इस कार्य में कोई बाल श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगा।
3. लागू श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का पालन निविदातकर्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. बैंक की संतुष्टि पर संतोषजनक ढंग से कार्य पूरा किया जाए।
5. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई भी ऑफर जो इस आरएफपी में बताई गई प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता हो उसे बैंक के विवेक पर निरस्त किया जा सकता है।
6. निविदाकर्ता द्वारा कोट की गई दरों के आंकड़ों अथवा शब्दों में पैदा होने वाली कोई विसंगतियों के मामले में केवल शब्दों में कोट की गई दरें ही स्वीकार्य होंगी।

7.18 संशोधन और /या वापस लेना

- एक निविदाकर्ता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि निविदाकर्ता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- रा.आ. बैंक को कोई या सभी निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी कारण से निविदा दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

7.19 निविदा देने वाले निविदाकर्ता की निबंधन व शर्तें

निविदाकर्ता को निविदा के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

7.20 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.21 प्रस्ताव की सामग्री

निविदाकर्ता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि निविदाकर्ता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। निविदाकर्ता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में निविदाकर्ता की क्षमता एवं इस परियोजना में निविदाकर्ता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

7.22 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये निविदाकर्ता

निविदाकर्ता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि निविदाकर्ता को किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो निविदा गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।

7.23 झूठा/अधूरा विवरण

निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी निविदा/निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.1 भुगतान शर्तें

कोई भी भुगतान पत्रिकाओं के विनिर्देशानुसार/संतोषजनक मुद्रण व आपूर्ति के बाद ही जारी किया जाएगा।

अनुलग्नक I

पात्रता मानक फॉर्म
(कृपया लेटर हेड पर दें)

1.	क्या प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली एनसीआर में स्थित है	हां/नहीं **(साक्ष्य संलग्न करें)**
2.	क्या निविदाकर्ता को मुद्रण संबंधी न्यूनतम 7 वर्षों का अनुभव है?	**निविदा के साथ अपेक्षित दस्तावेज़ संलग्न करें।**
3.	क्या आपके पास जीएसटी पंजीकरण है? यदि हाँ तो जीएसटी नंबर प्रदान करें।	हां/नहीं जीएसटी नंबर ....
4.	क्या निविदाकर्ता को पिछले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक में मुद्रण संबंधी कार्य का अनुभव है?	2015-16 : 2016-17 : 2017-18 : **निविदा दस्तावेज़ के साथ उक्त कार्यों से संबंधित कार्यादेश की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।**
5.	क्या मुद्रक का प्रति वर्ष व्यापार कम से कम 5 करोड़ रुपये है?	**निविदा के साथ लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।**
6.	क्या भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित हैं ?	हां/नहीं **(लेटर हेड पर घोषणा पत्र भी संलग्न करें)**

कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या:-

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

फर्म का नाम:

पता:

मोबाइल नं.

अनुलग्नक II

वित्तीय निविदा फॉर्म
विषय: बैंक की गृह पत्रिका 'आवास भारती' के नियमित अंकों एवं एक विशेषांक के डिजाइनिंग एवं मुद्रण हेतु वित्तीय कोटेशन

1.	कार्य की कुल लागत (ड्राफ्ट, डिजाइनिंग, फेरो, मुद्रण, डिलीवरी हेतु वाहन खर्च आदि) **(आवास भारती पत्रिका के एक नियमित अंक हेतु 500 प्रतियों की कुल मुद्रण लागत) 'X'**	.... रूपए
2.	कार्य की कुल लागत (ड्राफ्ट, डिजाइनिंग, फेरो, मुद्रण, डिलीवरी हेतु वाहन खर्च आदि) **(आवास भारती पत्रिका के एक विशेषांक हेतु 500 प्रतियों की कुल मुद्रण लागत) 'Y'**	.... रूपए

- भुगतान के समय प्रचलित वैधानिक दरों के अनुसार करों का भुगतान वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- उपरोक्त तालिका में दिए गए भार के आधार पर वित्तीय मूल्यांकन अर्थात 'C' हेतु लागत का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा:

$$C = 4X + Y$$

- निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि उनके प्रस्तावों कि रैंकिंग वित्तीय मूल्यांकन अर्थात 'C' हेतु लागत के निर्धारण के अनुसार की जायेगी। कार्यादेश तदनुसार सफल अंतिम निविदाकर्ता को जारी किया जाएगा।
- **प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंक अपनी तिमाही हिंदी गृह पत्रिका "आवास भारती" का सामान्यतः 4 अंक (नियमित अंक) एवं एक विशेषांक प्रकाशित करता है।**

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

फर्म का नाम:

पता:

मोबाइल नं.: